

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जब वे किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बलित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा हो जाए जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प/2011/ 3647

दिनांक: 30/07/11 ✓

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिविष्यम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : श्योपुर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, श्योपुर

मनोनीत सदस्य : 1. श्रीमती गायत्री मण्डेलिया, सदस्य, कार्यपरिषद
2. डॉ. आर.ए. शर्मा, आचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-


- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थी।
- ग्राचार्य, श्योपुर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, श्योपुर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिकारी
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

अमरन गवर्नर कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही कहा जाते हैं। इसके अन्त पदाधिकारी के लाभ से। अध्यक्षत विषय पर यही पूर्व में प्रभावहार कुआ हो तो प्रकाशक एवं दिनांक अध्यश्य लिखा जाते जिससे सरिश हो।



फ़ाक्स : बूनीतर्फिये
 फ़ोन : 0091-(0751) 2442601
 (फ़ाक्स)
 2442462 (जीवाजी)
 ईमेल : jureg_gwl@rediffmail.com
 वेबसाइट : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :
 कुलसचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय
 ग्वालियर

क्रमांक : एफ-सम्बद्धता/2011/44489

दिनांक : 30/01/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21 जून, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार श्योपुर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, श्योपुर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. सायकोलोजी लैब में 3 बड़े उपकरण क्रय किये जाते।
2. विज्ञान प्रयोगशाला में ऐसीमैज एवं अन्य उपकरण क्रय करें।
3. कम्प्यूटर लैब में लीगल सॉफ्टवेयर रखे जायें तथा बेबसाईट अपडेट रखें।
4. स्कूल एवं महाविद्यालय के भवन अलग किये जायें तथा प्रवेश अलग होना चाहिए।

आदेशानुसार
 3 मार्च, 2011
 कुलसचिव


प्रति,

1. प्राचार्य, श्योपुर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, श्योपुर
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सलपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संग्रहीत
 संग्रहीत - कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लकड़ा पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किंवा जावे न
होने वाली अन्य पदाधिकारी के नाम से।
लकड़ापत्र विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो यह क्रमांक २४ दिवांक
उच्चस्थ शिक्षा जावे लिखाए संविधा हो।



वाग्मी : शूलीकर्त्तव्य
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442629
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५१५०

दिनांक: २५/७/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्योपुर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, श्योपुर को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तापित/संघालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्ण प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/त्यारी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार किरीकण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. डॉ. एव. गोस्यानी, आचार्य, कन्व्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442756)
- (2) प्रो. विवेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. मुकेश कटारे, व्याख्याता, शास्त्रीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुरू, घोषणा राखि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत लंसथा से प्राप्त अनुमति/अबापत्ति प्रमाण-पत्र, अवन, छीड़ा परिवर्तन एवं पाठ्यक्रम/आईडीनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसार्ण अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करावें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन ०७ दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति ग्रन्थ का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में कोई गङ्गे देसी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय ०३ माह में विरीक्षण बढ़ी करता है तो समिति स्वतः विरस्त नो जावेगी और पुक़ विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड त्वरण रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का धुर्जन्जन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देगा अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाजा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रशासनी लेकर जार्यें तथा महाविद्यालय की वर्तुलिक्षण से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को दी.प. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देव होगा।

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त विरीक्षण १५ दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, संपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर